

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 11/10/2021

फा0क0 3424/2021/21-ब(दो), राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन 1974 क सं.2) की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में एतद्वारा,

श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक 1742/1990) को अपर लोक अभियोजक श्री विनोद कुमार दीक्षित, अधिवक्ता के स्थान पर जिला मुख्यालय छतरपुर के लिए इस आदेश दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए परिविक्षा पर अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करता है और उन्हें नियम 17 (3) विभागीय नियमावली, विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के रूप में पदाभिहीत करता है। यह नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अरुण कुमार सिंह(सिनि,))
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11/10/2021
12

पृ0कमांक 3424/2021/21-ब(दो),
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, सागर, संभाग, सागर, (म0प्र0),
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर, (म0प्र0), की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, छतरपुर, (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता पता-छत्रसाल नगर पन्ना रोड जिला छतरपुर म0प्र0, की ओर पालनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय विधि मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के विशेष सहायक/निज सचिव, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 6. आई.टी. प्रकोष्ठ की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वेबसाईट पर दर्ज सूची अद्यतन करने हेतु प्रेषित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डॉ० वैभव विकास शर्मा)
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग